प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 79/2022 दिनांक 09/03/2022,

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7,7ए...........
(2) अधिनियम...........भा0द0स0.. धारायें .....120 बी. ....
(3) अधिनियम......................... धारायें.......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या....................183.......समय..........6.10 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– मंगलवार, दिनांक 08.03.2022, समय 1.08 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 25.02.2022, समय 3.15 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पूर्व 45 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता – ग्राम पंचायत सोप तहसील उनियारा जिला टोंक ......बीट संख्या .....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला................

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– ***श्री सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर उम्र 27 साल निवासी देवली ग्राम पंचायत देवली तह0 उनियारा जिला टोंक***
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– मजदुर / मिस्त्री ।

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री हिमाशूं चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 06 गौतम कॉलोनी सवाईमाधोपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोप तह0 उनियारा जिला टोंक**
2. **श्री चिरजीं लाल खटीक पुत्र श्री भोलूराम जाति खटीक उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 ग्राम सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक (सरपंच पति)**
3. **श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अजीज खान उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 01 ग्राम पंचायत सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक ई–मित्र संचालक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 9,000 / – रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 9,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)...

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक राज.

विषय :– कार्यवाही करने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मैं सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर उम्र 27 साल निवासी देवली ग्राम पंचायत देवली तह0 उनियारा जिला टोंक का निवासी हुं तथा ग्राम सोप तह0 उनियारा में मोटर साईकिल सर्विस का काम करता हुं। मैनें मेरे भाई महबूब खां एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन के नाम से ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ–कोटडी मैन रोड पर आबादी क्षेत्र में दो प्लाट ले रखे है। प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम सोप में सभी के पट्टे बन रहे है, इसलिये मैनें भी हमारे दोनों प्लाट का आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत सोप में आवेदन किया तो पट्टा बनाकर देने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु चौधरी, ग्राम पंचायत सोप एवं श्रीमति किसकन्दा सरपंच सोप के पति चिंरजी लाल खटीक ने मिलकर मेरे से 1 लाख 60 हजार रूपये की मांग की। मुझे लोन की आवश्यकता होने से मैनें पट्टा बनाने के लिए उन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, जिस पर उन्होनें मुझे मेरे भाई महबूब खान के नाम से पट्टा संख्या 12 एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन पुत्र कमरूद्दीन के नाम से पट्टा संख्या 13 बनाकर दे दिये। जिस पर मैनें तहसील उनियारा में जाकर उक्त पट्टों का पंजीयन करवाना चाहा तो उन्होनें पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत सोप द्वारा जारी रसीद की मांग की। मैनें रसीद के बारें में हिमाशुं जी ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति से जानकारी की तो उन्होनें कहा कि आपके दोनों पट्टों की 260–260 रूपये की रसीद संख्या 61 व 62 काट कर रखी है, परन्तु पहले शेष राशी 10 हजार रूपये दो तभी तुम्हे रसीद मिलेगी। रसीद के बिना पट्टों का पंजीयन नहीं हो सकता। मैनें पहले ही इन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, मैं अब इन्हें कोई रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं नाही कोई आपसी रंजिश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
श्री सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर
उम्र 27 साल निवासी देवली तह0 उनियारा जिला टोंक
हाल ग्राम पंचायत सोप मो.न. 9079837019

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 25.02.2022 समय 3.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर उम्र 27 साल निवासी देवली ग्राम पंचायत देवली तह0 उनियारा जिला टोंक ने एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित होकर मन् आहद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैनें मेरे भाई महबूब खां एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन के नाम से ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ–कोटडी मैन रोड पर आबादी क्षेत्र में दो प्लाट ले रखे है। प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम सोप में सभी के पट्टे बन रहे है, इसलिये मैनें भी हमारे दोनों प्लाट का आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत सोप में आवेदन किया तो पट्टा बनाकर देने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु चौधरी, ग्राम पंचायत सोप एवं सरपंच पति चिंरजी लाल खटीक ने मिलकर मेरे से 1 लाख 60 हजार रूपये की मांग की। मुझे लोन की आवश्यकता होने से मैनें पट्टा बनाने के लिए उन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, जिस पर उन्होनें मुझे मेरे भाई महबूब खान के नाम से पट्टा संख्या 12 एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन पुत्र कमरूद्दीन के नाम से पट्टा संख्या 13 बनाकर दे दिये। जिस पर मैनें तहसील उनियारा में जाकर उक्त पट्टों का पंजीयन करवाना चाहा तो उन्होनें पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत सोप द्वारा जारी रसीद की मांग की। मैनें रसीद के बारें में हिमाशुं जी ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति से जानकारी की तो उन्होनें कहा कि आपके दोनों पट्टों की 260–260 रूपये की रसीद संख्या 61 व 62 काट कर रखी है, परन्तु पहले शेष राशी 10 हजार रूपये दो तभी